उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-216/2017/3309/92-2-2017-106जॉच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 18 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फैजाबाद में वर्ष 2012-13 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत निर्मित कतिपय मार्गो के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सुरेन्द्र कुमार राव, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड - फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद को पदेन प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-216/2017/3309(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 646/ग्रा0अ0वि0/डा0नियो0-जांच/सीएम-फैजाबाद/2017-18 दिनांक 23.10.2017 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री सुरेन्द्र कुमार राव, तत्का0 सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजारबाद के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ ।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद।
4- श्री सुरेन्द्र कुमार राव, तत्का0 सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in